III भाग

निष्कर्ष तथा अनुशंसाएँ

3.1. निष्कर्ष

यह योजना मुख्यतः किसानों की ऋणग्रस्तता के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई थी। योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने विशिष्ट मानदण्डों के आधार पर छोटे/सीमान्त/अन्य किसानों के रूप में किसानों के वर्गीकरण तथा ऋण की अदायगी की अवधि, इसके अतिदेय व अभुक्त होने की स्थिति के आधार पर, किसानों की देनदारी के आंशिक निपटान के लिए ₹52,000 करोड़ से भी ज्यादा की एक विशाल धनराशि जारी की।

समग्र रूप से, निष्पादन लेखापरीक्षा ने व्यक्त किया कि लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षित 90,576 मामलों में से 20,216 (22.32 *प्रतिशत*) मामलों में कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई, जिसने योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गंभीर चिंता उठायी।

यह पाया गया कि नौ राज्यों में नमूना परीक्षित किए गए 9,334 खातों में से 1,257 खाते (13.46 *प्रतिशत*) ऐसे थे जो योजना के अंतर्गत ₹3.58 करोड़ के लाभ हेतु योग्य पाए गए थे, परन्तु ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा योग्य लाभार्थियों की सूची बनाते समय उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया।

80,299 नमूना परीक्षित खातों में से 6,822 खातों में ₹20.50 करोड़ राशि की विसंगतियाँ पाई गई जिनमें अयोग्य किसानों जैसे कि ऐसे किसान जिन्होंने गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण लिये थे या जिनका ऋण पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता था, को योजना के अंतर्गत लाभ दिए गए। इसके अतिरिक्त, इन 80,299 नमूना परीक्षित खातों में से अन्य 4,826 खातों को अनुचित लाभ दिये गये। इन 4,826 मामलों में, 3,262 किसानों को ₹13.35 करोड़ का अतिरिक्त लाभ दिया गया, जबकि 1,564 किसानों को उन्हें देय ₹1.91 करोड़ से कम लाभ दिया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 6,392 खातों में, ₹5.33 करोड़ की राशि वाले कुछ प्रभार (जैसे मूल राशि के आधिक्य पर ब्याज, अनावेदित ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, कानूनी प्रभार, निरीक्षण प्रभार, विविध प्रभार आदि) जिनको योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा स्वयं वहन किया जाना था, सरकार से मांगे गए।

इसके अतिरिक्त, ₹164.60 करोड़ के ऋण भी दिशानिर्देशों के उल्लंघन करके माफ किए गए।

योजना के अंतर्गत लाभों को देने के पश्चात् बैंकों द्वारा किसानों को प्रमाणपत्र जारी करने थे तथा इसके लिए उनसे पावती प्राप्त करने की आवश्यकता थी ताकि किसान बैंक से नए ऋण का आवेदन/पुनर्वित्तीयन का पात्र बन सकें। जबकि 61,793 खातों में से 21,182 खाते जो कि 34.28 *प्रतिशत* हैं, की जांच इसी उद्देश्य से की गई और यह पाया गया कि ऋणदात्री संस्थाओं ने किसानों से पावती प्राप्त नहीं की थी।

पुनर्वित्तीयन मुद्दे के संदर्भ में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस. प्रमाणपत्रों वाले सभी लाभार्थियों को नए ऋण दिए गए, जहाँ भी उन्होंने इसके लिए आवेदन किया, क्योंकि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अस्वीकार्य/स्वीकार्य ऋण आवेदन प्राप्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।

योजना का निगरानी पक्ष को भी अपर्याप्त पाया गया क्योंकि योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग अपने द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए पूर्णरूप से नोडल एजेंसियों पर निर्भर था। जबकि नोडल एजेंसियाँ, दावों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे दावों व प्रमाणपत्र पर स्वतंत्र पुनर्जांच करने के बजाए, स्वयं ही ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों एवं आंकड़ों पर निर्भर थीं। यह स्थिति हितों के विवाद का मुद्दा उत्पन्न करती है, क्योंकि प्रभावी रूप में ऋणदात्री संस्थायें दोहरी भूमिका निभा रही थीं, पहले कार्यान्वयन तथा दूसरे अपने ही कार्य की निगरानी।

3.2. अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाओं का सार नीचे दिया गया है।

योजना का कार्यान्वयन

- ✓ *जैसा कि ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस. एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब किसानों को लाभ पहुँचाना है, उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डी.एफ.एस. चुने हुए बैंकों में लाभार्थी सूचियों का पुनरावलोकन करने के लिए कदम उठा सकता है जहाँ ऋणभारिता अधिक थी।*
- ✓ *बैंक अधिकारियों, आंतरिक लेखापरीक्षकों एवं केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षकों, जिन्होंने दावों को पास करने हेतु सूचना का सत्यापन किया था, उनके कर्त्तव्यों को निभाने में हुई चूकों के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाना चाहिए।*
- ✓ *एम.एफ.आई. द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति से संबंधित मुद्दे की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि योजना का लाभ वास्तव में किसानों तक पहुँचा है एवं केवल एम.एफ.आई. तक ही सीमित नहीं रहा।*
- ✓ *अभिलेखों के साथ की गई छेड़छाड़/ऋणियों के ब्यौरों में परिवर्तन के विशिष्ट मामलों की डी. एफ.एस. द्वारा समीक्षा की जाए एवं पथभ्रष्ट अधिकारियों के साथ ऋणदात्री संस्थाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।*

अनुवीक्षण

- ✓ *मंत्रालय को स्वयं जाँच करनी चाहिए (1) प्रतिपूर्ति के उच्च–मूल्य के दावों की (2) उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जैसे अस्वीकार्य प्रभारों (3) कम से कम ऋणदात्री संस्थाओं के दावों के नमूनों की जाँच ताकि सरकार के वित्तीय हित की सुरक्षा की जा सके।*
- ✓ *नोडल एजेंसियों को पर्यवेक्षण के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों का कार्य दिया जाना चाहिए तथा उनकी कमियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।*
- ✓ *शिकायत एवं निरीक्षण के संदर्भ में अनुवर्ती कार्यवाही को सही तरीके से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए।*

उद्देश्यों की उपलब्धि

- ✓ *सरकार, बैंकों को ऋण माफी/ऋण राहत प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अभियान चलाने और नये ऋण पाने वाले ऐसे किसानों का रिकॉर्ड रखने हेतु निर्देश जारी कर सकती है।*

दिनाँक : 8 फरवरी 2013
स्थान : नई दिल्ली

(आनन्द मोहन बजाज)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनाँक : 11 फरवरी 2013
स्थान : नई दिल्ली

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक